न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2023/240
मुकदमा नम्बर 65/2023 दर्ज दिनांक–27.06.2023

गुलाब सिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी टोकछिलरी, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू

बनाम

1. महेन्द्र सिह पुत्र भैरू सिंह
2. मामराज सिह पुत्र भैरू सिंह
3. रोनक कंवर पुत्री ओनाड सिंह
4. रोशन कंवर पत्नी गुलाब सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम टोंकछिलरी , तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
5. भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू
6. श्रवण सिंह पुत्र श्री रारमकुवार सिंह जाति राजपूत निवासी टोंकछिलरी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
7. किशोर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टोंकछिलरी, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

वकील आवेदक : – श्रीमती स्नेहलता वर्मा
अनावेदक सं. 1 लगा. 4, 7 :– एक पक्षीय
अनावेदक सं. 5 :– पैरो. राज.
अनावेदक सं. 6 :– श्री अमर सिंह शेखावत

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 17.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि, प्रार्थीगण का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम टोंकछिलरी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में नई खाता सं. 175 पुराना 144 की भूमि खसरा नं. 1292/477 रकबा 0.06 है, खसरा नं. 449 रकबा 0.24 है० खसरा नं. 450 रकबा 0.100 है०, खसरा नं. 462 रकबा 0.15 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.55 है० की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 19.062023 के अनुसार पत्थरगढी कायम करवाई जावें।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 1 लगा. 4, 7 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 6 की और से वकील श्री अमर सिंह शेखावत उपस्थित हो जवाब निम्नानुसार पेश कियाः–

भूमि ख.नं. 1292/447, 449,450,462 आवेदक व सहखातेदार अनवेदकगण सं. 1 लगा. 4 की खातेदारी की भूमि है, अनावेदक सं. 06 की खातेदारी की भूमि ख.नं. 461 है। आवेदक की भूमि 462 का सीमाज्ञान करने का आदेश जारी करानेपर दिनांक 19.06.2023 आदेश क्रमांक 118 दिनांक 12.06.2023 की पालना में ग्राम टोंक छिलरी की भूमि ख.नं. 462 रकबा 0.15 है० का सीमाज्ञान करवाया गया तथा मौके पर भूमि ख.नं. 1292/447 में सडक नही पाई गई, भूमि ख.नं. 462 में सडक बनी हुई है।, पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भूमि खसरा नं. 462 का नकर अनावेदक सं. 06 की खातेदारी की भूमि ख.नं. 461 की गई, भूमि ख.नं. 462,461 की पूर्वी सीमा ए से डी में सीमा के सहारे–सहारे सडक बनी हुई है परन्तु

आवेदक अनावेदक की भूमि का गलत सीमा ज्ञान करवाकर अनावेदक की भूमि को हडपना चाहता है। इसलिये पत्थरगढी का आदेश नही दिया जावे।

अनावेदक सं. 5 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो जवाब निम्नानुसार पेश किया:–

राज़स्व ग्राम टोकछिलरी नई खाता सं. 175 पुराना 144 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 रिकॉडेड खातेदार काश्तकार है। दिनांक 19.06.2023 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार वर्णित ख.नं. की पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसके लिये खाता सं. 175 के खातेदारों को ही नोटिस जारी किया गया है, जबकी खाता सं. 175 के चारो और प्रभावित खातेदारों को नोटिस जारी नही किया गया है। प्रभावित काश्तकारों को नोटिस जारी नही करने पर पत्थरगढी कायम करते समय सीमा का विवाद सामने आ सकता है। वाद पत्र में खाता सं. 175 खसरा नं. 1292/477 रकबा 0.0600 है0, खसरा नं. 449 रकबा 0.2400 है0, खसरा नं. 450 रकबा 0.100 है0, खसरा न. 462 रकबा 0.1500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.55 है0 की सीमा से प्रभावित राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक खसरा नम्बरान के खातेदारों को सुनवाई का अवसर देकर पत्थरगढी का आदेश देना स्वीकार है।

बहस प्रा.पत्र वकील उभय पक्ष द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अनावेदकगण ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। पैरो. राज. द्वारा सीमा से प्रभावित खसरा नम्बराने के खातेदारों को नोटिस देकर व सुनवाई का अवसर देकर पत्थरगढी किया जाना उचित बताया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार को अपनी कृषि जोत पर सीमाज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये जाने का पूर्ण अधिकारी है। यधपी दिनांक 19.06.2023 को किया गया सीमाज्ञान राजस्व अधिकारियेां द्वारा तैयार किया गया है जिस पर किसी प्रकार का संदेह नही किया जा सकता है परन्तु यह भी स्पष्ट है कि उक्त सीमाज्ञान सीमावर्ती खातेदारों को बिना सुचित किये, बिना उनकी उपस्थिति के किया गया है। इसलिये तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम टोंकछिलरी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में नई खाता सं. 175 पुराना 144 की भूमि खसरा नं. 1292/477 रकबा 0.06 है, खसरा नं. 449 रकबा 0.24 है0 खसरा नं. 450 रकबा 0.100 है0, खसरा नं. 462 रकबा 0.15 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.55 है0 की सीमाओं पर सीमाज्ञान, सीमावर्ती काश्तकारों को नोटिस दिये जाकर, उनकी उपस्थिति में पुनः किया जाकर, सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी निर्धारित शुल्क राजकोष मे जमा कर की जावे। तद्नुसार पत्थरगड्डी कायम करवाये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे सीमाज्ञान करते हुये ,पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 17/04/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू